

INTERNAL COMPLAINTS
COMMITTEE
ACADEMIC YEAR (2023-2024).



SRI RAAJA RAAJAN

COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

(Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai)

146/14B1, Amaravathi Village, Amaravathiputhur Post,

Karaikudi – 630 301, Sivagangai Dt, Tamil Nadu

Website : www.srirajaraajan.in, E-mail : srrcet2010@gmail.com, Ph: 04565-234230

INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE :: 2023-24

Internal Complaints Committee as under POSH Act 2013 Protection of Women against Sexual Harassment in the work place. The Internal Complaints Committee (ICC) serves as crucial role in promoting a safe, inclusive and equitable environment for all members of the college community.

The college aims at providing a safe environment for students. Along with various safety measures the college has an exclusive committee for prevention of sexual harassment in the work place.

Any kind of sexual harassment of a student by fellow students or staff in campus or off campus in public (in the form of obscene oral or written abuse, sexual advances, and unethical sexual behaviour) is dealt with very seriously and complaints about such acts are to be informed to the committee members. The following are the members of the committee.

COMMITTEE MEMBERS:

S.No.	NAME	DESIGNATION	POSITION	SIGN
1	Dr.K.Senthamarai	Associate Professor /Mech.	Chairperson	
2	Mrs.D.Sujatha	Associate Professor /CSE	Member convenor	
3	Mrs.S.Divya	Assistant Professor/Civil	Member	
4	Mrs.K.Isabella Rani	Assistant Professor/ECE	Member	
6	Mrs. R.Jansi Rani	Advocate	Legal Advisor	
7	Ms.K.Atchaya	III CSE (Council for College Ethics)	Member	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91-1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) से संयुक्त रूप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :-

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भ:- (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।

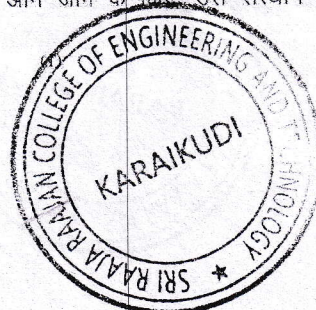
(3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाएँ:- इन विनियमों में—बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरूरी है:-

(अ) "पीड़ित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला—चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;

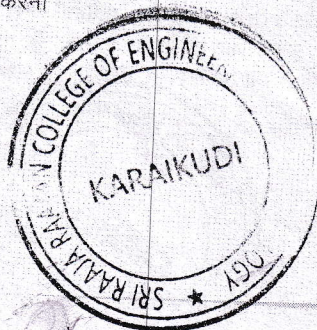
(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

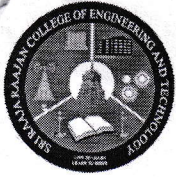
(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैंटीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो—जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु



संस्थान पर, अध्ययनों, अध्ययन भ्रमण, सैर-सपाटे के लिए, लघु-अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिविरों के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक समारोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ जिनमें कोई व्यक्ति एक कर्मचारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान के एक छात्र के रूप में भाग ले रहा है—यह समस्त उस परिसर में सम्मिलित हैं;

- (डी) "आयोग" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित है;
- (ई) "आवृत्त व्यक्तियों" से अर्थ उन व्यक्तियों से है जो एक सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत हैं जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को दायर करना—अथवा वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत हैं तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है;
- (एफ) "कर्मचारी" का अर्थ, उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से प्रशिक्षार्थी, शिक्षार्थी अथवा वे अन्य जिस नाम से भी जाने जाते हैं। आन्तरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयंसेवक, अध्यापन-सहायक शोध-सहायक चाहे वे रोजगार में हैं अथवा नहीं, तथा क्षेत्रीय अध्ययन में, परियोजनाओं लघु-स्तर के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है;
- (जी) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी, चाहे जिस नाम से वे जाने जाते हों— तथा जिस संस्थान में उच्चतर शैक्षिक संस्थान का सामान्य प्रशासन सम्मिलित है। सार्वजनिक रूप से निधि प्राप्त संस्थानों के लिए, कार्यकारी प्राधिकारी से अर्थ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जैसा कि केन्द्रीय नागरिक सेवायों (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम तथा इसके समतुल्य नियमों में दर्शाया गया है;
- (एच) "उच्चतर शैक्षिक संस्थान" (एचईआई) से अर्थ है—एक विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (जे) के अन्तर्गत अर्थों के अनुसार है, ऐसा एक महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (बी) के अर्थ के अनुसार है तथा एक ऐसा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत है;
- (आई) "आन्तरिक शिकायत समिति" (आई.सी.सी.) (इन्टरनल कमप्लेन्ट्स कमिटी) से अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अर्थ के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा गठित की जाने वाली आन्तरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उद्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है, (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एस.सी.एस.एच.) ऐसे निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए;
- बशर्ते, बाद वाले मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसा सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत केन्द्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा बाध्य होगा;
- (जे) "सुरक्षित गतिविधि" में ऐसी एक परम्परा, के प्रति तर्कपूर्ण विरोध शामिल है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी तरफ से अथवा कुछ दूसरे लोगों की तरफ से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानूनों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है— जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों की कार्रवाई में भागीदारी करना, किसी भी आन्तरिक जांच पड़ताल में अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न मामलों में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की जा रही जांच पड़ताल में अथवा किसी मुकदमे में बतौर गवाह मौजूद रहना;
- (के) "लैंगिक उत्पीड़न" का अर्थ है—
- (i) ऐसा एक अनचाहा आचरण जिसमें छिपे रूप में लैंगिक भावनाएँ जो प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं अथवा जो भावनाएँ अत्यन्त मजबूत होती, नीचतायुक्त होती हैं, अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिकूल और धमकी भरा वातावरण पैदा करती हैं अथवा वास्तविक अथवा धमकी भरे परिणामों द्वारा अधीनता की ओर प्रेरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनाओं में निम्नलिखित अवांछित काम या व्यवहारों में कोई भी एक या उससे अधिक या ये समस्त व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे तौर से या छिपे तौर से) नामतः—
- (अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अग्रिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक के अतिरिक्त कोई आचरण
- (ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना
- (स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना





SRI RAAJA RAAJAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Approved by AICTE - New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai.
Amaravathipudur - Karaikudi



SRR CET/CIR/PI/2023-2024

DATE:04.09.2023

CIRCULAR INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE

This is to inform all the Internal Complaints Committee members, that there will be a committee meeting at Principal office on 06-09-2023. All the members are requested to attend the meeting without fail.

COMMITTEE MEMBERS:

S.No.	NAME	DESIGNATION	POSITION
1	Dr.K.Senthamarai	Associate Professor /Mech.	Chairperson
2	Mrs.D.Sujatha	Assistant Professor/CSE	Member convenor
3	Dr.N.Rajeswari	Associate Professor / EEE	Member
4	Mrs.S.Divya	Assistant Professor/Civil	Member
5	Mrs.K.Isabella Rani	Assistant Professor/ECE	Member
6	Mrs. R.Jansi Rani	Advocate	Legal Advisor

Principal
PRINCIPAL

Sri Raaja Raajan College of Engg. & Tech
Amaravathipudur, Karaikudi - 626 002
Sivagangar Dist. Tamil Nadu

To ,

The Management committee for kind information

Cc to: (i)Principal (ii)Dean (iii)AO (iii) SDO (iv)ACO iv) Vice Principal (v)All HODs

(vi)Physical Director (vii) Library (viii) Transport (ix)EMO (x) Hostel warden (xi) To be read in all the class room (xii) File (xiii) Exam cell () To Notice Board .



SRI RAAJA RAAJAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Approved by AICTE - New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai.
Amaravathipudur - Karaikudi



INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE 2023-2024

MEETING MINUTES

Venue: Principal's Cabin

DATE: 06.09.2023

The Meeting held on September 6th, 2023 at 3.00 pm in the Principal's Cabin.

Agenda:

- 1.To educate the students on UGC circulars, rules and regulations on sexual harassments issues.
2. Creating awareness through induction programme.
- 3.To conduct the awareness session to the students and staff with help of lawyers and police authorities.

COMMITTEE MEMBERS:

S.No.	NAME	DESIGNATION	POSITION	SIGN
1	Dr.K.Senthamarai	Associate Professor /Mech.	Chairperson	
2	Mrs.D.Sujatha	Assistant Professor/CSE	Memberconvenor	
3	Dr.N.Rajeswari	Associate Professor / EEE	Member	
4	Mrs.S.Divya	Assistant Professor/Civil	Member	
5	Mrs.K.Isabella Rani	Assistant Professor/ECE	Member	
6	Mrs.S.Krishnaveni	Physical Directress	Member	
7	Mrs. R.Jansi Rani	Advocate	Legal Advisor	
8	Ms.K.Nisha	II M.E CSE (Council for College Ethics)	Member	
9	Ms.K.Atchaya	IV CSE (Council for College Ethics)	Member	



SRI RAAJA RAAJAN

COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

(Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai)

146/14B1, Amaravathi Village, Amaravathiputhur Post,
Karaikudi – 630 301, Sivagangai Dt, Tamil Nadu

Website : www.sriraaajaraajan.in, E-mail : srrcet2010@gmail.com, Ph: 04565-234230

REPORT

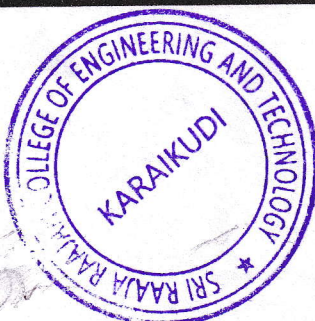
Resource Person : Mrs.A.PRANITHA
Designation : Sub-Inspector of Police, Somanathapuram
Date : 25.03.2024
Venue : Seminar Hall

Mrs.P. Geetha, Assistant Professor, Department of Mathematics welcomed the gatherings. Our guest of honour, Mrs.A.PRANITHA, Sub-Inspector of Police, Somanathapuram Police Station, began with interactive and motivating talk on "Awareness on Women's Safety".

She explained how a person's body language plays an important role in understanding what he or she feels. She also discussed various forms of sexual harassment (verbal, Physical, and visual). She gave suitable incidents for those in which she handled such cases. She said that how many women do not complain or report due to fear of retaliation, social stigma or a lack of evidence. She talked about the behaviour of adolescents. She finished her session by explaining the Kavalan app and how the internal committee works. Mrs.C.Pandichelvi, Assistant Professor, Department of Mathematics, delivered Vote of thanks.

Outcome

The students were able to understand the outcomes and dangers of ragging and how it affects the mental and physical nature of the students who are affected by it. The students were asked to participate in making a ragging-free campus. Students are fostering a positive campus culture and prompting psychological well being among students.





Mrs.A.Pranitha, Address the gathering on Sexual Harassment on 25.03.2024

[Signature]
Co-ordinator

[Signature]
Principal



PRINCIPAL
Sri Raja Raajan College of Engg. & Tech
Amaravathipudur, Karaikudi - 630 301
Sivagangai Dist. Tamil Nadu

INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE
ACADEMIC YEAR (2022-2023)



SRI RAAJA RAAJAN

COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

(Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai)

146/14B1, Amaravathi Village, Amaravathiputhur Post,

Karaikudi – 630 301, Sivagangai Dt, Tamil Nadu

Website : www.srirajaraajan.in, E-mail : srrcet2010@gmail.com, Ph: 04565-234230

INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE :: 2022-23

Internal Complaints Committee as under POSH Act 2013 Protection of Women against Sexual Harassment in the work place. The Internal Complaints Committee (ICC) serves as crucial role in promoting a safe, inclusive and equitable environment for all members of the college community.

The college aims at providing a safe environment for students. Along with various safety measures the college has an exclusive committee for prevention of sexual harassment in the work place.

Any kind of sexual harassment of a student by fellow students or staff in campus or off campus in public (in the form of obscene oral or written abuse, sexual advances, and unethical sexual behaviour) is dealt with very seriously and complaints about such acts are to be informed to the committee members. The following are the members of the committee.

COMMITTEE MEMBERS:

S.No.	NAME	DESIGNATION	POSITION	SIGN
1	Dr.K.Senthamarai	Associate Professor /Mech.	Chairperson	
2	Dr.N.Rajeswari	Associate Professor / EEE	Member	
3	Mrs.S.Divya	Assistant Professor/Civil	Member	
4	Mrs.K.Isabella Rani	Assistant Professor/ECE	Member convenor	
6	Mrs. R.Jansi Rani	Advocate	Legal Advisor	
7	Ms.K.Atchaya	III CSE (Council for College Ethics)	Member	

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91-1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) से संयुक्त रूप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 28 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :-

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भ:- (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।

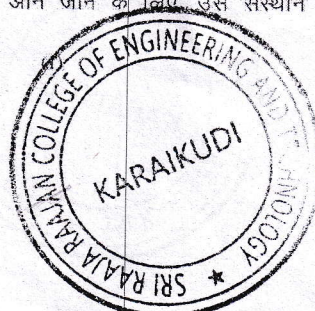
(3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाएँ:- इन विनियमों में—बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरूरी है:-

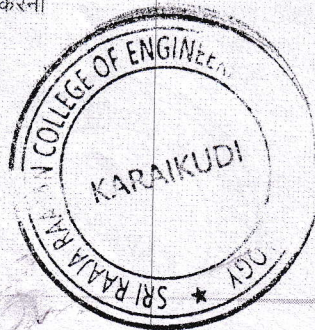
(अ) "पीड़ित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला—चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;

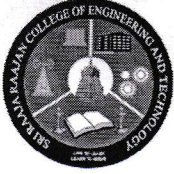
(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैन्टीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो—जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु



- संस्थान पर, अध्ययनों, अध्ययन भ्रमण, सैर-सपाटे के लिए, लघु-अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिविरों के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक समारोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियों जिनमें कोई व्यक्ति एक कर्मचारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान के एक छात्र के रूप में भाग ले रहा है—यह समस्त उस परिसर में सम्मिलित हैं;
- (डी) "आयोग" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित है;
- (ई) "आवृत्त व्यक्तियों" से अर्थ उन व्यक्तियों से है जो एक सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत हैं जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को दायर करना—अथवा वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है;
- (एफ) "कर्मचारी" का अर्थ, उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से प्रशिक्षार्थी, शिक्षार्थी अथवा वे अन्य जिस नाम से भी जाने जाते हैं। आन्तरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयंसेवक, अध्यापन-सहायक शोध-सहायक चाहे वे रोजगार में हैं अथवा नहीं, तथा क्षेत्रीय अध्ययन में, परियोजनाओं लघु-स्तर के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है;
- (जी) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी, चाहे जिस नाम से वे जाने जाते हों— तथा जिस संस्थान में उच्चतर शैक्षिक संस्थान का सामान्य प्रशासन सम्मिलित है। सार्वजनिक रूप से निधि प्राप्त संस्थानों के लिए, कार्यकारी प्राधिकारी से अर्थ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जैसा कि केन्द्रीय नागरिक सेवाओं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम तथा इसके समतुल्य नियमों में दर्शाया गया है;
- (एच) "उच्चतर शैक्षिक संस्थान" (एचईआई.) से अर्थ है—एक विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (जे) के अन्तर्गत अर्थों के अनुसार है, ऐसा एक महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (बी) के अर्थ के अनुसार है तथा एक ऐसा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत है;
- (आई) "आन्तरिक शिकायत समिति" (आई.सी.सी.) (इन्टरनल कम्प्लेन्ट्स कमिटी) से अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अर्थ के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा गठित की जाने वाली आन्तरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उद्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है, (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एस.सी.ए.एस.एच.) ऐसे निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए;
- बशर्ते, बाद वाले मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसा सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत केन्द्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा बाध्य होगा;
- (जे) "सुरक्षित गतिविधि" में ऐसी एक परम्परा, के प्रति तर्कपूर्ण विरोध शामिल है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी तरफ से अथवा कुछ दूसरे लोगों की तरफ से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानूनों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है— जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों की कार्रवाई में भागीदारी करना, किसी भी आन्तरिक जांच पड़ताल में अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न कामों में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की जा रही जाँच पड़ताल में अथवा किसी मुकदमे में बतौर गवाह मौजूद रहना;
- (के) "लैंगिक उत्पीड़न" का अर्थ है—
- (i) ऐसा एक अनचाहा आचरण जिसमें छिपे रूप में लैंगिक भावनाएँ जो प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं अथवा जो भावनाएँ अत्यन्त मजबूत होती, नीचतायुक्त होती हैं, अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिकूल और धमकी भरा वातावरण पैदा करती हैं अथवा वास्तविक अथवा धमकी भरे परिणामों द्वारा अधीनता की ओर प्रेरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनाओं में निम्नलिखित अवांछित काम या व्यवहारों में कोई भी एक या उससे अधिक या ये समस्त व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे तौर से या छिपे तौर से) नामतः—
- (अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अग्रिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक के अतिरिक्त कोई आचरण
- (ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना
- (स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना





SRI RAAJA RAAJAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Approved by AICTE - New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai.
Amaravathipudur - Karaikudi



SRR CET/CIR/PI/2022-2023

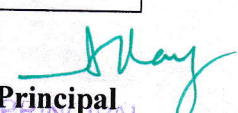
DATE:04.08.22

CIRCULAR

It is proposed to conduct student counselling cell meeting for the academic year 2022-2023 on 05-08-2022 at Principal office The Committee members are requested to attend the meeting without fail.

COMMITTEE MEMBERS:

S.No.	NAME	DESIGNATION	POSITION
1	Dr.K.Senthamarai	Associate Professor /Mech.	Chairperson
2	Dr.N.Rajeswari	Associate Professor / EEE	Member
3	Mrs.K.Isabella Rani	Assistant Professor/ECE	Member convenor
4	Mrs.S.Krishnaveni	Physical Directress	Member
5	Mrs. R.Jansi Rani	Advocate	Legal Advisor

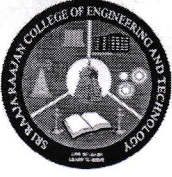

Principal

Sri Raja Raajan College of Engg. & Tech
Amaravathipudur, Karaikudi - 630 301
Sivagangai Dist. Tamil Nadu

To ,

The Management committee for kind information

Cc to: (i)Principal (ii)Dean (iii)AO (iii) SDO (iv)ACO iv) Vice Principal (v)All HODs
(vi)Physical Director (vii) Library (viii) Transport (ix)EMO (x) Hostel warden (xi) To be read in
all the class room (xii) File (xiii) Exam cell () To Notice Board .



SRI RAAJA RAAJAN COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Approved by AICTE - New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai.
Amaravathipudur - Karaikudi



SRRCET/CIR/PI/2022-2023

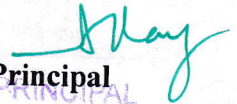
DATE:04.08.22

CIRCULAR

It is proposed to conduct student counselling cell meeting for the academic year 2022-2023 on 05-08-2022 at Principal office The Committee members are requested to attend the meeting without fail.

COMMITTEE MEMBERS:

S.No.	NAME	DESIGNATION	POSITION
1	Dr.K.Senthamarai	Associate Professor /Mech.	Chairperson
2	Dr.N.Rajeswari	Associate Professor / EEE	Member
3	Mrs.K.Isabella Rani	Assistant Professor/ECE	Member convenor
4	Mrs.S.Krishnaveni	Physical Directress	Member
5	Mrs. R.Jansi Rani	Advocate	Legal Advisor


Principal

Sri RaaJa RaaJan College of Engg. & Tech
Amaravathipudur, Karaikudi - 630,30
Sivagangai Dist. Tamil Nadu

To ,

The Management committee for kind information

Cc to: (i)Principal (ii)Dean (iii)AO (iii) SDO (iv)ACO iv) Vice Principal (v)All HODs
(vi)Physical Director (vii) Library (viii) Transport (ix)EMO (x) Hostel warden (xi) To be read in
all the class room (xii) File (xiii) Exam cell () To Notice Board .